फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री अजीज मोहम्मद मुसलमान   विपक्षी :– श्री रसुल मोहम्मद मुसलमान वगैरह
किस्म मुकदमा :– 212 R.T.A.   पत्रावली संख्या :– 06/20 (प्रार्थना पत्र)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 03.03.2020 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता श्री एस. एम. सिंधी द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 24 का वकालत पत्र मूल वाद में पेश किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 24 द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकारात्मक जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 25 की ओर से राजपैरोकार (तहसीलदार वल्लभनगर) उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर बहस का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा दौराने बहस बताया कि उभय पक्षो को यदि मौके की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद किया जाता है तो उभय पक्षो को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। चूंकि उभय पक्षकारान मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमत है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 24 को मूल वाद के निर्णय तक ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर की आराजी नम्बर 169, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 349, 350, 351, 352, 357 कुल किता 13 रकबा 49 बीघा 7 बिस्वा भूमि की मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया। (शैलेश सुराणा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2020.04.09 18:04:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: